2018/00188

न्यायालय सम्पदा अधिकारी(उपखण्ड मजिस्ट्रेट) सिरोही (राज.)
बईजलास पीठासीन अधिकारी हरि सिंह देवल (आर.ए.एस.)

रा.प्रा.पत्र संख्या 1/2018
GCMS No. 2017/00218

प्रार्थीगण

1. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर द्वारा मुख्य आबुरोड मुख्य प्रबंधक रा.रा.प.प. निगम आबुरोड आगार।
2. मुख्य प्रबंधक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, आबूरोड आगार ।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. श्री नरेश कुमार पुत्र श्री तुलसीराम, जाति–अग्रवाल, आयु बालिग, निवासी माउण्ट रोड, आबूरोड।

उपस्थित :–
1– प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री अर्जुन रावल।
2– अप्रार्थी की ओर वकील श्री नगेन्द्र कुमार मेडतीया।

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 4, 5 व 7 सार्वजनिक स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1964

न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट सिरोही (राज.)

निर्णय

दिनांक 22.07.2025

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता यह रा.प्रा.पत्र अन्तर्गत 4, 5 व 7 सार्वजनिक स्थान (अप्राधिकृत अभिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1964 के तहत अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध इस न्यायालय मे दिनांक 12.10.2022 को पेश किया जिसका संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी सं. 1 का प्रधान कार्यालय, जयपुर में स्थित है जिसके भिन्न–भिन्न जिला व तहसीलों में कई मुख्य प्रबन्धक नियुक्त हैं जो अपने क्षेत्र की प्रार्थी सं. 1 एक के जायदाद की देखरेख व बस स्टेण्ड का संचालन करते हैं। पूर्व में राजस्थान राज्य परिवहन निगम का बस स्टेण्ड बना हुआ था। वह रेलवे के भू–भाग में स्थित था। जिसे रेलवे द्वारा ब्रोडगेज बनाये जाने से खाली करवाये जाने पर नया बस स्टेण्ड निगम के स्वामित्व की भूमि स्थिति आवासीय कॉलोनी के स्थान पर बनाया गया था। आज जनता के हित में एवं सुविधा को देखते हुए राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.07.2006 को

नगरपालिका, आबूरोड ने 511.33 वर्गगज भूमि लीज पर निगम को आवंटित की गई थी, जिसकी निम्नानुसार चर्तुदर्शी है –पूर्व –रेल्वे लाईन, पश्चिमः खाली जमीन, उत्तरः– ज्ञानप्रकाश के केबिन, दक्षिणः– सुलभ शौचालय। अप्रार्थी नरेश कुमार ने मा० सिविल न्यायाधीश (क.ख.) आबूरोड में वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थी के विरूद्व निम्न प्रकार से डिक्री किये जाने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया कि

1– आया कि वाद पत्र के पद संख्या एक में वर्णित परिसर में वादी की लाइसेन्स शुदा एवं कब्जेशुदा केबिन स्थित हैं।
2– आया कि केबिन के पश्चिम दिशा में खुली भूमि में रास्ता स्थित है।
3– वादी ने वादग्रस्त परिसर पर अतिक्रमण कर रखा हैं।
4– यह कि मा० सिविल न्यायालय (क.ख.), आबूरोड ने दिनांक 16.04.2014 को बाबत् वाद वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार से डिकी किया जाता हैं–

1– प्रतिवादीगण वाद पत्र संख्या एक में वर्णित चर्तुदिशा के केबिन के पश्चिम दिशा में भवन निर्माण नहीं करे, न ही वादी के केबिन पर आने वाले रास्ते को अवरूद्ध करें।
2– प्रतिवादीगण रेल्वे पटरी के मध्य से 100 फीट की दूरी तक किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करें।
3– प्रतिवादी द्वारा यदि दिवार बनाकर रास्ता बंद कर दिया गया, वो रास्ता पुनः खोला जायें।

मा० सिविल न्यायालय (क.ख.), आबूरोड के डिक्री आदेश 16.04.2014 के विरूद्व – प्रार्थी निगम ने मा० अपर जिला न्यायाधीश संख्या–2 आबूरोड में दीवानी अपील डिकी संख्या 57/2015(16/1014) में दिनांक 05.02.2018 को आदेश पारित किया कि " परिणामस्वरूप् अपीलांट राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम जरिये प्रबंधक एवं मुख्य प्रबंधक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, आबूरोड आगार द्वारा रेस्पोडेण्ट वादी नरेश कुमार पुत्र तुलसीराम जाति अग्रवाल निवासी माउन्ट रोड, आबूरोड के विरूद्व प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाती हैं एवं न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.ख.), आबूरोड द्वारा दीवानी मूल वाद संख्या 37/2006 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.04.2014 को अपास्त किया जाता हैं तथा रेस्पोडेण्ट वादी नरेश कुमार द्वारा प्रतिवादीगण प्रबंधक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम एवं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के विरूद्व प्रस्तुत वाद अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं।"

मा० दीवानी अपील डिक्री संख्या 57/2015 (16/1014) में दिनांक 05.02.2018 को पारित निर्णय में अप्रार्थी नरेश कुमार को अतिक्रमी माना है। अप्रार्थी ने जानबुझकर आज दिनांक तक अवैध केबिन नहीं हटाया हैं, जिससे अप्रार्थी अतिक्रमणी होने से अप्रार्थी से कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी हैं तथा प्रार्थी संख्या एक की जायदाद अप्रार्थी से खाली कराने हेतु प्रार्थी संख्या दो अधिकृत हैं।
राजस्थान राज–पत्र दिनांक 25.01.2005 में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन), जयपुर को जयपुर जिले में व अन्य जिला में जिला

मुख्यालय पर पदस्थापित सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट को प्रार्थीगण की सम्पतियों पर से अप्राधिकृत अभियोग और अतिक्रमण बेदखली करने हेतु सम्पदा अधिकारी नियुक्त किया हैं जिससे यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः प्रार्थना हैं कि प्रार्थीगण के पक्ष में अप्रार्थी के विरूद्ध निम्न आशय की डिकी प्रदान करावें –

अ– निगम की स्वामित्व की भूमि में काबिज अवैध केबिन से अप्रार्थी से प्रार्थी को कब्जा देरावें।

ब– प्रार्थीगण को अप्रार्थी से 25.07.2006 से केबिन के उपयोग व उपभोग के हर्जाने के रूपये 5.000/– मासिक की दर से 31.03.2018 तक की अवधि तक की बकाया देय राशि रू० 7,00,000/– अक्षरे सात लाख भी प्रदान कराई जावें।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र व संलग्न फार्म नंबर 3 के साथ कब्जा सुपूर्दगी रिपोर्ट, मा० अपर जिला न्यायाधीश संख्या–2 आबूरोड में दीवानी अपील डिक्री संख्या 57/2015(16/1014) में दिनांक 05.02.2018 के निर्णय की प्रति व न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.ख.), आबूरोड द्वारा दीवानी मूल वाद संख्या 37/2006 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.04.2014 की प्रतियों का गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया तो उक्त प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों से न्यायालय प्रथम दृष्टयॉ आश्वस्त होने से उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 04.05.2016 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जवाब पेश करने हेतु नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी को जारी नोटिस तामिल होकर इस न्यायालय मे प्राप्त होने से शामिल मिसल किया गया। प्रकरण में इस न्यायालय की सुनवाई दिनांक 28–04–2025 को अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रकरण में अपना जवाब प्रस्तुत किया। प्रति वकील प्रार्थीगण को दी गई।

अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने जवाब में कथन किया है कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 में वर्णित कथन स्वीकार है। पद में वर्णित केबीन की भूमि जानकारी नहीं होने से अस्वीकार है। अप्रार्थी नरेशकुमार द्वारा नगरपालिका आबुरोड से केबीन की भूमि को किराये पर लिया था तथा केबीन लगाकर अपना व्यवसाय कर रहा था। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 3, 4 व 5 में वर्णित कथन स्वीकार है। न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना तथा वाद में निर्णय होना स्वीकार है। अप्रार्थी को न्यायालय से स्थगन प्राप्त नहीं होने से प्रार्थी ने दीवार का निर्माण कार्य कर केबीन में आवागमन का रास्ता बंद कर दिया था तथा उसके बाद अप्रार्थी का केबीन बंद है तथा उसमें कोई व्यवसाय नहीं हो पा रहा है। प्रार्थना पत्र का पद संख्या 6 में वर्णित कथन अस्वीकार है। अप्रार्थी वादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमी नहीं है बल्कि बतौर लाईसेंसी काबिज है। वास्तविक स्वामी के विरूद्ध न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी करने से इंकार कर देने के कारण दीवार का निर्माण कार्य करवा दिया गया है तथा उसके बाद केबीन बंद पडा है जिसका कोई उपयोग नहीं है। प्रार्थनापत्र का पद संख्या 07 में वर्णित कथन स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का पद संख्या 08 में वर्णित कथन कानुनी होने से श्रीमान् के गौर ए तलब है।

प्रार्थी अपना कथन सक्षम साक्ष्य से साबित करे। पद संख्या 09 नौ में वर्णित कथन चाहा गया अनुतोष है, जो अस्वीकार है। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र खारिज किए जाने योग्य है।

विचाराधीन प्रकरण की पत्रावली वास्ते वकील उभय पक्षकारान की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 4, 5 व 7 सार्वजनिक स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1964 पर दिनांक 13.05.2025 को अंतिम बहस सुनी गई ।

हमनें विचराधीन प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली मय प्रार्थना पत्र जवाब अप्रार्थी संलग्न दस्तावेजी साक्ष्य की प्रतियों का गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया। वकील उभय पक्षकारान की बहस पर भी गंभीरतापूर्वक मनन किया। सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर यह स्पष्ट है कि मा० अपर जिला न्यायाधीश संख्या–2 आबूरोड में दीवानी अपील डिक्री संख्या 57/2015(16/1014) में दिनांक 05.02.2018 में पारित निर्णय अनुसार अप्रार्थी नरेश कुमार को अतिक्रमी माना है। अप्रार्थी से केबिन के उपयोग व उपभोग के हर्जाने के रूपये 5.000/– मासिक की दर अब तक का बकाया राशि प्राप्त करने का प्रार्थी अधिकारी है। अप्रार्थी ने जानबुझकर आज तक अवैध केबिन नही हटाया है। जिससे अप्रार्थी अतिक्रमी होने से अप्रार्थी से कब्जा प्राप्त करने का प्रार्थी अधिकारी है। प्रार्थीगण अपने निम्न चर्तुदशी पूर्व में –रेल्वे लाईन, पश्चिम में– खाली जमीन, उत्तर में – ज्ञानप्रकाश के केबिन, दक्षिण में– सुलभ शौचालय के स्वामित्व की विवादित केबिन की भूमि को अप्रार्थी से खाली कराने हेतु अधिकृत है एवं केबिन के उपयोग व उपभोग के हर्जाने के रूपये 5.000/– मासिक की दर से अब तक का बकाया राशि प्राप्त करने हेतु भी अधिकृत है।

उपरोक्त सभी के आधार पर प्रार्थीगण का यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 4, 5 व 7 सार्वजनिक स्थान (अप्राधिकृत अभिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1964 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा(1) के अधिन विवादित उक्त केबिन की भूमि से बेदखली का आदेश जारी हो एवं धारा 7 की उपधारा (1) के तहत रकम संदाय करने का आदेश भी जारी हो।

निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(हरि सिंह देवल)
सम्पदा अधिकारी (एस.डी.एम.)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट सिरोही

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 22.07.2025 को मेरे हस्ताक्षर पदनाम व न्यायालय की गोल मुहर से जारी किया गया

सम्पदा अधिकारी (एस.डी.एम.)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट सिरोही

प्रारूप–ध

रा.रा.प.प.नि. बनाम नरेश कुमार
प्रकरण संख्या 01/2018

राजस्थान सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली(अधिनियम 1964 की धारा 7 की उप धारा (1) के अधीन आदेश

श्री नरेश कुमार पुत्र श्री तुलसीराम, जाति–अग्रवाल, आयु बालिग, निवासी माउण्ट रोड, आबूरोड।

यतः आप नीचे की अनुसूची में वर्णित सरकारी स्थान के अप्राधिकृत अधिभोगियों है:–

ओर उक्त स्थान के संबंध में तारीख **25–07–2006 से आज दिनांक तक किराये की रकम 5000/–(पांच हजार रूपये मात्र) मासिक दर से बकाया है, जो आपके द्वारा सरकार को संदत्त किये जाने है।**

अतः अब राजस्थान सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली(अधिनियम 1964 की धारा 7 की उप धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, में इसके द्वारा आपसे उपरोक्तानुसार रूपये की समान किश्तों में 12 समान किश्त मास के भीतर उक्त रकम संदाय करने की अपेक्षा करता हुँ। यदि उक्त कालावधि के भीतर या उक्त रीति से उक्त रकम का संदाय नही किया गया तो उक्त रकम भू–राजस्व की बकाया की भांति वसूल की जायेगी।

दिनांक – 22–07–2025

सम्पदा अधिकारी (एस.डी.एम)
सिरोही

न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट सिरोही (राज.)

प्रारूप–ख

रा.रा.प.प.नि. बनाम नरेश कुमार
प्रकरण संख्या 01/2018

राजस्थान सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली(अधिनियम 1964 की धारा 5 की उप धारा (1) के अधीन आदेश

यतः मेरा (निम्न हस्ताक्षरकर्ता का) नीचे अभिलिखित कारणों से समाधान हो गया है कि श्री नरेश कुमार पुत्र श्री तुलसीराम, जाति–अग्रवाल, आयु बालिग, निवासी माउण्ट रोड, आबूरोड।

यतः आप नीचे की अनुसूची में वर्णित सरकारी स्थान के अप्राधिकृत अभियोगी है:–

अतः अब राजस्थान सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली अधिनियम 1964 की धारा 5 की उप धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, मैं इसके द्वारा आदेश देता हुँ कि इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के भीतर उक्त **श्री नरेश कुमार पुत्र श्री तुलसीराम, जाति–अग्रवाल, आयु बालिग, निवासी माउण्ट रोड, आबूरोड** और अन्य समस्त व्यक्ति, जो उक्त स्थान या उसके किसी भाग के अधिभोग हो, उक्त स्थान खाली कर दें। उमर विर्निर्दिष्ट कालावधि के भीतर इस आदेश के पालन करने से इन्कार करने या पालन करने में असफल रहने पर उक्त श्री **श्री नरेश कुमार पुत्र श्री तुलसीराम, जाति–अग्रवाल, आयु बालिग, निवासी माउण्ट रोड, आबूरोड** और संबंधित अन्य समस्त व्यक्तियों को उक्त स्थान से, ऐसे बल के प्रयोग द्वारा भी बेदखल कर दिया जायेगा जो आवश्यक हो।

अनुसूची

जिसकी चतुदर्शी निम्न प्रकार है:–
पूर्व में –रेल्वे लाईन,
पश्चिम में– खाली जमीन,
उत्तर में – ज्ञानप्रकाश के केबिन,
दक्षिण में– सुलभ शौचालय

दिनांक – 15–07–2025

सम्पदा अधिकारी (एस.डी.एम)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट सिरोही